डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. प्रकाश पुत्र हरख्याल | जाति गुर्जर निवासी खेडली गूर्जर
2. श्रीमती कमला पत्नि हरख्याल | तहसील सूरौठ जिला करौली राज०
3. श्रीमती निरसू पुत्री हरख्याल पत्नि मेघराम जाति गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर हाल निवासी भोपुर तहसील महुवा जिला दौसा राज० ———वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जी तहसील सूरौठ जिला करौली ———प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी **मुकदमा नं0 158/2024**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.75 है0, 1144 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम खेरलीगूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में फिरंगी हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर फिरंगी पुत्र कमल हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार संशोधन करने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगें। तहसीलदार सूरौठ को यह भी आदेश दिये जाते हैं कि मृतक फिरंगी पुत्र कमल जाति गुर्जर निवासी खेडलीगुर्जर तहसील सूरौठ के वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की जॉच कर नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.02.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 17/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 158/2024 तारीख रजू:– 27.08.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. प्रकाश पुत्र हरख्याल | जाति गुर्जर निवासी खेडली गूर्जर
2. श्रीमती कमला पत्नि हरख्याल | तहसील सूरौठ जिला करौली राज०
3. श्रीमती निरसू पुत्री हरख्याल पत्नि मेघराम जाति गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर हाल निवासी भोपुर तहसील महुवा जिला दौसा राज० ———वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जी तहसील सूरौठ जिला करौली ———प्रतिवादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी

उपस्थित – 1. श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट वादीगण

2. पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :–17.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्वर 1142 रकबा 0.75 हेक्टेयर चाही 1, ख0नं0 1144 रकबा 0.1600 हेक्टेयर वारानी 2 स्थित है। जिसको बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने बन्दोबस्त करते समय पुराने खसरा नम्वर 667 मिन रकबा 3 बीघा 10 विस्वा से बनाया गया है। उक्त भूमियों में वादी सं0 1, 3 के बाबा फिरंगी व वादिया संख्या 2 के ससुर फिरंगी पुत्र कमल का 1/4 हिस्सा की खातेदारी जमाबंदी आदि समस्त राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो रही है। जिसके इन्द्राजात जमाबंदी संवत 2077 में हो रहे है। जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई सरोकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्वर 1 वाद पत्र में दर्ज आराजीयात वादी नम्वर 1, 3 के बाबा फिरंगी व वादिया सं0 2 के सुसर फिरंगी पुत्र कमल जाति गुर्जर 1/4 हिस्सा का खातेदार कास्तकार है। तथा अन्य सह खातेदारान तेजराम पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर दयाल पुत्र मलके हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर, निरी पुत्री मनोहरी हिस्सा 1/16, पीतम पुत्र कल्याण हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर, महेन्द्र पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/16, जाति गुर्जर सुमेर पुत्र मनोहरी बहिस्सा 1/16 जाति गुर्जर सा.ग्राम खातेदार जमाबंदी आदि में हो रहे है। लेकिन वादी संख्या 1, 3 के बाबा व वादिया सं02 के ससुर फिरंगी के पिताजी का नाम तत्कालीन पटवारी हल्का ने सहवन से नही लिखा। जिसके इन्द्राजात वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होते चले आ रहे है। जिससे वादीगण का विरासत का नामान्तकरण नही खुल सका।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वादीगण का सजरा ए खानदान निम्न प्रकार से है।

कमल (फौत)
|
फिरंगी (फौत)
|
हरख्याल फौत

प्रकाश	श्रीमती निरसू	श्रीमती कमला
वादी सं01	वादी सं03	बेबा वादी सं02

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्वर 1 वाद पत्र में दर्ज भूमिया वादी सं01 व 3 के बाबा व वादिया सं02 के ससुर फिरंगी पुत्र कमल जाति गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर को दि० 17.01.1981 को राजस्व शिविर खेडली गुर्जर ने भूमि हीन होने पर परिवार जन के साथ संयुक्त रूप से तत्कालीन शिविर प्रभारी श्री कृष्ण सिंह जी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर पुराने कब्जा कास्त के दस्तावेजी साक्ष्य व मौके पर पुराना कब्जा कास्त होने से रेगूलाईज की गयी थी। उस प्रार्थना पत्र में वादी सं0 1, 3 के बाबा व वादिया सं02 के ससुर फिरंगी के पिताजी का नाम कमल जाति गुर्जर लिखा हुआ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है। तथा अन्य परिवार जन के नाम भी मय पिताओं के नाम व जाति सहित लिखे हुये है। वादी नम्वर 1 व 3 के बाबा व वादिया सं02 के ससुर फिरंगी पुत्र कमल जाति गुर्जर अपने 1/4 हिस्सा को बाहमी बंटबारा करके मौके पर कास्त करता रहा था। उसके पश्चात उसका पुत्र हरख्याल पुत्र फिरंगी जाति गुर्जर मौके पर कास्त करता रहा। तथा अब वर्तमान वादीगण मौके पर काबिज होकर उनकी पैत्रिक भूमि में 1/4 हिस्सा को निरन्तर मौके पर काबिज होकर प्रत्येक कृषि वर्ष में निरन्तर कास्त कर रहे है। जिससे वादीगण विवादित भूमियों के 1/4 भाग के खातेदार घोषित किये जाने योग्य है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्वर 1 वाद पत्र के खातेदार वादी नं0 1, 3 के बाबा व वादिया सं0 2 के पति हरख्याल पुत्र फिरंगी का देवयोग से दिनांक 04-06-2000 स्वर्गवास हो गया और प्रतिवादी सं0 13 के बाबा फिरंगी पुत्र कमल वादिया सं0 2 के जिससे इ ससुर का दिनांक 18-06-2009 को स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात वादीगण सं01,3 के बाबा फिरंगी व वादिया सं02 के सुसर फिरंगी जाति गुर्जर के 1/4 हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तकरण नही खुल सका सक है। तथा वादी सं01,3 नावालिग भी थे और उनकी माताजी ग्रामीण महिला अनपढ होने से विरासत का नामान्तकण नही खुल सका। वादीगण के बाबा व ससुर फिरंगी के पिताजी कमल जाति गुर्जर का नाम अब तक राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं होने से वादीगण के नाम विरासत का नामान्तकरण नही खुल सकता है। जो कि वादीगण के बाबा व ससुर फिरंगी की बल्दियत सहवन से लिपिकीय त्रुटि होने से राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज नही हो सका। इसलिए कानूनी रूप से दर्ज किया जाकर समस्त राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी आदि में वादी नम्वर 1, 3 के बाबा व 2 के ससुर फिरंगी के पिता कमल का नाम दर्ज कर वादीगण कानूनन विवादित भूमियों में 1/4 हिस्सा के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाने योग्य है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि वादीगण दिनांक 29-01-2024 को व इससे पूर्व तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र देकर भूमि मुतजिक्रा मद नम्वर 1 वाद पत्र में उनके बाबा व ससुर के 1/4 हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भूमियों में राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी आदि में फिरंगी की बल्दियत कमल दर्ज कराने के लिये श्रीमान न्यायालय में पेश किया तो श्रीमानजी ने तहसीलदारजी सूरौठ से जांच रिपोर्ट मंगाली है, जिसकी असल प्रतिलिपी न्यायालय श्रीमान में है और व उस जांच रिपोर्ट दिनांक 15-02-2024 की फोटो प्रतिलिपी पेश है। इस जांच रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के आदेश कमांक 41, 42 (अभियान) दिनांक 17-01-1981 में वादीगण के बाबा व ससुर व अन्य के पिताजीओ के नाम दर्ज नही है। तथा नामान्तकरण संख्या 269 दिनांक 17-01-1981 में भी रेगेलाईज की गयी भूमि में वादीगण व अन्य के पिताओं के नाम दर्ज नही है। जबकि वादीगण दिनांक 17-01-1981 के प्रार्थना पत्र में बाबत नियमन में वादीगण के बाबा व ससुर फिरंगी के पिताजी कमल का नाम दर्ज है तथा अन्य सह खातेदारान के पिताओ के नाम व विरासत के नाम संवत 2070 से 2073 की जमाबंदी में दर्ज है। केवल मात्र वादीगण के बाबा ससुर फिरंगी के पिता का नाम दर्ज नही है। इस कारण वादीगण द्वारा दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वादीगण दावे के साथ नकल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 ग्राम खेडली गुर्जर, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम खेडली गुर्जर, नकल जमाबंदी संवत 2035 से 2038 ग्राम खेडली गुर्जर तहसीलदार सूरौठ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 14-02-2024 की फोटो प्रति, असल जाब कार्ड राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, भेज की रसीद कार्बन प्रतिलिपी, गरीबो हेतु निशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड कार्यालय आदेश तत्कालीन उपजिलाधीश राजस्व शिविर खेडली गूर्जर दिनांक 17-01-1981 नकल नामान्तकरण संख्या 271 दिनांक 21-01-1981, सरपंच ग्राम पंचायत खेडली गूर्जर, दिनांक 20-01-2024 फोटो कोपी राशन कार्ड फिरंगी पुत्र कमल, मृत्यु प्रमाण पत्र हरख्याल पुत्र फिरंगी दिनांक 04-06-2000, मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18-06-2009 फिरंगी पुत्र कमल जाति गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर आदि उक्त दस्तावेजात से वादीगण अपनी पेत्रिक भूमि खातेदार अधिकार प्राप्त करने के हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि विनाय दावा वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी दि० 19–01–2024 के आस पास तहसीलदार जी सूरौठ व पटवारी सूरौठ द्वारा वादी नम्बर 1, 3 के बाबा फिरंगी के पिताजी कमल का नाम राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम विरासत का नामान्तकण खुलवाने के लिये श्रीमान अदालत से आदेश लाने की कहने पर उत्पन्न हुआ है। दावा हाजा अंदर अवधि पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि बलिहाज पैदा होने विनाय दावा सकूनत फरीकेन एवम विवादित आराजी वाके ग्राम खेडली गुर्जर तहसील सूरौठ होने से तथा विवादित आराजी कृषि लगानी होने से दावा हाजा की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि दावा हाजा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी ऐक्ट व धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के तहत पेश किया जा रहा है, जिस पर उचित कोर्ट फीस 2 रूपया होती है जो अदा की गयी है।

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11(अ) में दर्ज किया है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अम्र का डिकी किया जावे कि भूमि खसरा नम्वर 1142 रकबा 0.7500 हेक्टेयर चा01, व खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.1600 हेक्टेयर चाही 2 में वादी संख्या 1, 3 के बाबा फिरंगी पुत्र कमल व वादिया सं० 2 के ससुर फिरंगी पुत्र कमल जाति गुर्जर केक 1/4 हिस्सा भूमि का विरासत के आधार से खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी आदि में फिरंगी के पिताजी का नाम कमल जाति गुर्जर राजस्व रिकोर्ड में हुयी त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर समस्त राजस्व रिकोर्ड जमाबदी आदि में अमल द रामद किया जावे।

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11(ब) में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्वर 1 वाद पत्र में दर्ज भूमियों के वादी नम्वर 1, 3 के बाबा फिरंगी व वादीया सं.2 के ससुर फिरंगी के 1/4 हिस्से में पिताजी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सहवन से राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज होने से रह गया है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, इसलिये वादी नम्वर 1,3 क बाबा व वादिया संख्या 2 के ससुर फिरंगी पुत्र कमल के स्थान पर वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11(स) में दर्ज किया है कि यह कि दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि दावा बिंदु संख्यां 1, फिरंगी हि० 1/4 स्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 2 अस्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु सख्या 3 कानून की हद तक स्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि दावा के बिन्दु संख्या 4 स्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 5 कानून की हद तक स्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 6 प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 7 कानूनी है।

जबाव दावा के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 8 कानूनी है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव दावा के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 9 कानूनी है।

जबाव दावा के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 10 कानूनी है।

जबाव दावा के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 11 राजस्व ग्राम खेडली गूजर की जमाबंदी संवत 2070–73 (स्थाई) के खाता संख्या 24 में फिरंगी हि० 1/4 जाति गुर्जर सा० ग्राम खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

जबाव दावा के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि गत खसरा संख्या 667 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्रीमान उपजिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट, हिण्डौन के आदेश संख्या 41, 42 (अभियान) दिनाक 17.01.1981 से किरोडी, फिरगी, मनोहरि, दयाल जाति गुर्जर नि0 खेडली गुर्जर के हक में नियमन की गई थी जिसमें किरोडी, फिरंगी, मनोहरी, दयाल के पिता का नाम दर्ज नहीं है।

जबाव दावा के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि श्रीमान उपजिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट हिण्डौन के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 269 दिनांक 17.01.1981 को दर्ज किया गया जिसमें किरोडी, फिरंगी, मनोहरी, दयाल जातिः गुर्जर नि० ग्राम दर्ज किया गया है। इस प्रकार नामान्तकरण में प्रार्थीगणों के पिता का नाम नहीं है।

जबाव दावा के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण किरोडी, फिरंगी, मनोहरी, दयाल द्वारा नियमन हेतु श्रीमानजी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में फिरंगी पुत्र कमल रिकार्ड दर्ज है।

अतः उक्त दावा में बिन्द्ववार जबाब श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1. आया वादीगण खसरा नम्बर 1142, 1144, में उनके बाबा व ससुर खातेदार फिरंगी गूजर हि0 1/4 में पिताजी कमल का नाम दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं। – जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण विवादग्रस्त भूमि में उनके बाबा व ससुर फिरंगी पुत्र कमल के जायज वारिसान होने से पैत्रिक भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी हैं। जिम्मे वादीगण

3. अनुतोष

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 प्रदर्श–4, नकल प्रार्थना पत्र श्रीमान् उपजिला कलक्टर हिण्डौन कैम्प खेडलीगूजर प्रदर्श–5, कार्यालय उपजिलाधीश हिण्डौन का पत्रांक प्रदर्श 6, उपजिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट हिण्डौन का पत्र प्रदर्श–7, पैनल्टी की रसीद प्रदर्श–8, जॉब कार्ड प्रदर्श– 9, नोटिस 80 सीपीसी मय रसीद प्रदर्श–10,11, गरीबों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा काड चयन सूची क्रमांक 10306 प्रदर्श– 12, फोटो प्रति तहसीलदार (भू0अभि0) सूरौठ का पत्रांक भू.अ./2024/197 दिनांक 14.02.2024 प्रदर्श–13, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 11 दिनांक 07.06.2000 हरख्याल पुत्र फिरंगी गुर्जर निवासी खेडली गूजर मृत्यु दिनांक 04.06.2000 प्रदर्श–14, सरपंच ग्राम पंचायत खेडली गुर्जर पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2024 प्रदर्श– 15, मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 178 दिनांक 30.06.2009 फिरंगी गुर्जर पुत्र कमल निवासी खेडली गूजर मृत्यु दिनांक 04.06.2000 प्रदर्श– 16, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी प्रकाश, बलवीर पुत्र हुकम गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर तहसील सूरौठ, के शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

वकील वादीगण एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। वकील वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निवेदन किया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने दौराने बहस मुताविक राजस्व रिकार्ड के अनुसार कानूनन निर्णय पारित करने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

निर्णय तनकी नं01 :– आया वादीगण खसरा नम्बर 1142, 1144, में उनके बाबा व ससुर खातेदार फिरंगी गूजर हि0 1/4 में पिताजी कमल का नाम दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। जिसको साबित करने के लिए वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070– 73 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.75 है0, 1144 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम खेरलीगूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी तेजराम पुत्र मनोहरी हि0 1/16, दयाल पुत्र मलके हि0 1/4, निरी पुत्री मनोहरी हि0 1/16, पीतम पुत्र कल्याण हि0 1/4, फिरंगी हि0 1/4, महेन्द्र पुत्र मनोहरी हि0 1/16, सुमेर पुत्र मनोहरी हि0 1/16 जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा हैक्टेयर में
667 मिन	3 बीघा 10 बिस्वा	1142	0.75
		1143	0.01
		1144	0.16

नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 प्रदर्श–4 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 667/1 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा चारागाह वाके ग्राम खेडलीगूजर तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिण्डौन की खातेदारी चारागाह दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 271 दिनांक 21.01.1991 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 667/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किरोडी फिरंगी मनोहरी दयाल जाति गूजर के नाम बहक खातेदारी स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल प्रार्थना पत्र श्रीमान् उपजिला कलक्टर हिण्डौन कैम्प खेडलीगूजर प्रदर्श–5 के अनुसार प्रार्थीगण मनोहरी पुत्र कल्याण गूजर, किरोडी पुत्र कल्याण गूजर, फिरंगी पुत्र कमल गुर्जर, दयाल पुत्र मलखे गुर्जर निवासी खेरली गूजर के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् खसरा नम्बर 667 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को रेगूलाईज करने के क्रम में पेश किया गया है।

कार्यालय उपजिलाधीश हिण्डौन का पत्रांक प्रदर्श 6 एवं 7 के अनुसार दिनांक 17.01.1981 को सर्वसम्मति से खसरा नम्बर 667 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा चारागाह पर सं0 2021 से प्रार्थीगण किरोडी फिरंगी मनोहरी दयाल जाति गूजर निवासी खेडलीगूजर के हक में नियमन किया गया है तथा पटवार कागजात में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये हैं।

पैनल्टी की रसीद प्रदर्श–8 फिरंगी पुत्र कमल के नाम से काटी गई है।

जॉब कार्ड सं0 207 प्रदर्श– 9 फिरंगी पुत्र कमल निवासी खेडली तहसील हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

नोटिस 80 सीपीसी मय रसीद प्रदर्श–10,11 दावा दायरी से पूर्व दिये जाना साबित है।

गरीबों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड चयन सूची क्रमांक 10306 प्रदर्श– 12 फिरंगी पुत्र कमल निवासी खेडली गूजर तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति तहसीलदार (भू0अभि0) सूरौठ का पत्रांक भू.अ./2024 /197 दिनांक 14.02.2024 प्रदर्श–13 में उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन को रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पेश की गई है कि जिसमें गत खसरा नम्बर 667 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्रीमान उपजिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट हिण्डौन के आदेश कमांक 41,42 अभियान दिनांक 17.01.1981 से किरोडी फिरंगी मनोहरी दयाल जाति गूजर निवासी खेडली गूजर के हक में नियमन की गई थी, जिसमें किरोडी फिरंगी मनोहरी दयाल के पिता नाम दर्ज नहीं है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का खेडलीगूजर द्वारा नामान्तकरण सं0 269 दिनांक 17.01.1981 को दर्ज किया गया, जिसमें किरोडी फिरंगी मनोहरी दयाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण में भी प्रार्थीगणों के पिता का नाम दर्ज नहीं है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 11 दिनांक 07.06. 2000 हरख्याल पुत्र फिरंगी गुर्जर निवासी खेडली गूजर मृत्यु दिनांक 04.06.2000 प्रदर्श– 14 के नाम से जारी किया हुआ है।

सरपंच ग्राम पंचायत खेडली गुर्जर पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2024 प्रदर्श– 15 के अनुसार फिरंगी पुत्र कमल गुर्जर जाति गुर्जर गांव खेडली गुर्जर तहसील सूरौठ जिला करौली का मूल निवासी है। ग्राम पंचायत खेडली गुर्जर मं इस नाम के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं है। मेरी दृष्टि में यह जानकारी सही है।

मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 178 दिनांक 30.06.2009 फिरंगी गुर्जर पुत्र कमल निवासी खेडली गूजर मृत्यु दिनांक 04.06.2000 प्रदर्श– 16 के नाम से जारी किया हुआ है।

उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का खेडलीगूजर तहसील सूरौठ से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्राप्त प्रार्थना पत्र की जाँच की गई जिसमें खाता सं. 24 ख0नं0 1142, 1144 रकबा 0.91 है0 जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी में खातेदार फिरंगी हि0 1/4 जाति–गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें फिरंगी के पिता का नाम दर्ज नहीं है यह कि गत खसरा नं0 667 रकबा 3 बीघा 10 विस्बा भूमि श्रीमान उपजिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट हिण्डौन के आदेश क्रमांक 41, 42 (अभियान) दिनांक 17.01.1981 से किरोडी, फिरंगी,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मनोहरी, दयाल के पिता के नाम दर्ज नहीं है उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का खेडली गूजर द्वारा नामान्तकरण संख्या 269 दिनांक 17.01.1981 को दर्ज किया गया। जिसमें किरोडी, फिरंगी, मनोहरी, दयाल जाति गुर्जर के नाम दर्ज किया गया उक्त नामान्तकरण में भी प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज नहीं है आवेदक द्वारा प्रार्थी के दस्तावेज बताये गये जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम कमल दर्ज है व मौके पर ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर बताया कि फिरंगी के पिता का नाम कमल है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उक्त रिपोर्ट पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर हैं तथा इस रिपोर्ट पर भू–अभिलेख निरीक्षक विजयपुरा ने अपनी टिप्पणी अंकित की है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट व ग्राम खेडली गूजर में संलग्न रिकॉर्ड जाँच रिकॉर्ड चिकित्सा कार्ड में प्रार्थी फिरंगी के पिता का नाम कमल है। नामान्तकरण संख्या 269 17.01.1981 को दर्ज किया गया जिसमें फिरंगी वगै के पिता का नाम नहीं है। ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर फिरंगी के पिता कमल है। अतः प्रार्थी फिरंगी के पिता का नाम कमल किया जाना प्रस्तावित है।

पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.09.2025 के अनुसार आज दिनांक 16.09.2025 को श्रीमान तहसीलदार साहब सूरौठ के आदेश क्रमांक /भू0अ0/1998 दिनांक 10.09.2025 की पालना में ग्राम खेरली गूजर में प्राप्त प्रार्थना पत्र की जाँच करने हेतु मौके पर पहूँचा मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि फिरंगी के पिता का नाम कमल ही है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध करवाये है उनके भी प्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध करवाये है उनमें भी फिरंगी पुत्र कमल दर्ज है। फर्द मौका मौके पर तैयार कर पढकर सुनाया गया व हस्ताक्षर करवाये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 667 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम खेडलीगूजर तहसील हिण्डौन श्रीमान उपजिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट हिण्डौन के आदेश क्रमांक 41,42 अभियान दिनांक 17.01.1981 से किरोडी फिरंगी मनोहरी दयाल जाति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गूजर निवासी खेडली गूजर के हक में नियमन की गई थी किन्तु उक्त आदेश में प्रार्थीगण किरोडी फिरंगी मनोहरी दयाल के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया तथा इसी आदेश के अनुरूप प्रार्थीण किरोडी वगैराह के नाम उक्त आदेश के अनुसार नामान्तकरण सं0 269 दिनांक 17.01.1981 को दर्ज किया गया, जिसमें किरोडी फिरंगी मनोहरी दयाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम के नाम दर्ज किया गया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि फिरंगी के पिता का नाम कमल है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में फिरंगी पुत्र कमल संशोधन कराने के वादीगण अधिकारी साबित हैं। अतः यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 2 :— आया वादीगण विवादग्रस्त भूमि में उनके बाबा व ससुर फिरंगी पुत्र कमल के जायज वारिसान होने से पैत्रिक भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। वादीगण के द्वारा इस तनकी को साबित करने के लिए ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये हैं कि जिससे यह साबित हो सके कि खातेदार फिरंगी पुत्र कमल के वारिसान वादीगण ही हों उनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं हो। दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अभाव में यह तनकी बहक प्रतिवादी खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

अनुतोष :— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.75 है0, 1144 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम खेरलीगूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में फिरंगी हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर फिरंगी पुत्र कमल हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार संशोधन करने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और इसी अनुसार वादीगण का दावा डिकी योग्य न्यायोचित है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.75 है0, 1144 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.91 है0 वाके

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ग्राम खेरलीगूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में फिरंगी हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर फिरंगी पुत्र कमल हि0 1/4 जाति गुर्जर सा0 ग्राम खातेदार संशोधन करने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगें। तहसीलदार सूरौठ को यह भी आदेश दिये जाते हैं कि मृतक फिरंगी पुत्र कमल जाति गुर्जर निवासी खेडलीगुर्जर तहसील सूरौठ के वारिसान की जॉच कर नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी)
हिण्डौन जिला करौली